सप्तदश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04 वृहस्पतिवार, दिनांक- 29 जुलाई, 2021 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही सी०पी०आई०(एम०एल०) के माननीय सदस्यगण स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मांगों को लेकर शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने स्थान पर जा कर अपनी बातों को कहें तभी हम सुनेगें । आज स्वास्थ्य विभाग पर तीन घंटे का विमर्श है । अपनी बातों को उस समय उठा सकते हैं ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा कहा गया कि हमारे विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में आकर कोरोना महामारी पर अपनी बात रखना चाहते हैं । सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर आज तीन घंटे का विमर्श निर्धारित है और उस दौरान कोरोना से संबंधित हर प्रश्न को उठाया जा सकता है । साथ ही अनुरोध किया कि वे अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं ।

तदोपरान्त वेल में आए माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गयें ।

[1] प्रश्नकाल :-

(i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 11 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 02 तारांकित प्रश्न संख्या-309 एवं 311 क्रमश: ग्रामीण विकास / पंचायती राज एवं सहकारिता विभाग में स्थानांतरित ।

(v) 134 तारांकित प्रश्न अनागत ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-09 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निदेश दिया गया कि प्रश्नकर्त्ता सदस्य के पूरक प्रश्न की जानकारी प्राप्त कर उन्हें उपलब्ध करा दें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-308 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय मंत्री को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से जांच करा कर प्रश्नकर्त्ता सदस्य को भी इससे अवगत करावें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-312 के निस्तारण के दौरान माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र के द्वारा आसन के प्रति आक्षेप किया गया । आसन द्वारा इस पर आपत्ति किए जाने पर उन्होंने अपने शब्द वापस लिया । इस पर माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के अनुरोध पर इस मामले को समाप्त कर दिया गया ।

[2] **कार्यस्थगन प्रस्ताव** :-

माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री ललित कुमार यादव, श्री शशि भूषण सिंह, श्री रामानुज प्रसाद, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री समीर कुमार महासेठ तथा श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम, श्री महानन्द सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री रामबली सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री संदीप सौरभ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा तीन अलग-अलग विषयों पर प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किए जाने की घोषणा की गयी ।

आसन की अनुमति से माननीय नेता विरोधी दल, श्री महबूब आलम एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा अपने-अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव के विषय को सदन में रखा गया ।

[3] **शून्यकाल** :-

(i)	श्री कुन्दन कुमार	(ii)	श्री ललन कुमार
(iii)	श्रीमती भागीरथी देवी	(iv)	श्री मो० कामरान
(v)	श्रीमती विभा देवी	(vi)	श्री पवन कुमार जायसवाल
(vii)	श्री इजहारूल हुसैन	(viii)	श्री विजय कुमार खेमका
(ix)	श्री समीर कुमार महासेठ	(x)	सुश्री श्रेयसी सिंह
(xi)	श्रीमती नीतू कुमारी	(xii)	श्रीमती शालिनी मिश्रा
(xiii)	श्री आनंद शंकर सिंह	(xiv)	श्री मिथिलेश कुमार
(xv)	श्री कृष्णनंदन पासवान	(xvi)	श्री कुमार शैलेन्द्र
(xvii)	श्री मुकेश कुमार यादव	(xviii)	श्री विद्या सागर केशरी
(xix)	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	(xx)	श्री प्रणव कुमार
(xxi)	श्री अख्तरूल ईमान	(xxii)	श्री मो० इजहार अस्फी
(xxiii)	श्री महा नंद सिंह	(xxiv)	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(xxv)	श्री रामबली सिंह यादव	(xxvi)	श्री अरूण सिंह
(xxvii)	श्री ललित नारायण मंडल	(xxviii)	श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xxix)	श्री अजय कुमार	(xxx)	श्री डॉ० सत्येन्द्र यादव
(xxxi)	श्री मनोज मंजिल	(xxxii)	श्री विनय कुमार
(xxxiii)	श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव	(xxxiv)	श्री अमरजीत कुशवाहा
(xxxv)	श्री संदीप सौरभ	(xxxvi)	श्री अजीत कुमार सिंह
(xxxvii)	श्री रामचंद्र प्रसाद	(xxxviii)	श्री सुधाकर सिंह
(xxxix)	श्री सत्यदेव राम	(xl)	श्री जयप्रकाश यादव
(xli)	श्री पवन कुमार यादव	(xlii)	श्री रामविशुन सिंह
(xliii)	श्री मुकेश कुमार रौशन	(xliv)	श्री विजय कुमार
(xlv)	श्री मो० अनजार नईमी	(xlvi)	श्री गोपाल रविदास
(xlvii)	श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचौल'	(xlviii)	श्री राजवंशी महतो
(xlix)	श्री शमीम अहमद	(l)	श्री अजय कुमार सिंह

(li)	श्री विनय बिहारी	(lii)	श्री मुरारी मोहन झा
(liii)	श्री राकेश कुमार रौशन	(liv)	श्री सूर्यकांत पासवान
(lv)	श्री रणविजय साहू	(lvi)	श्रीमती मंजू अग्रवाल
(lvii)	श्रीमती रश्मि वर्मा	(lviii)	श्री अनिल कुमार
(lix)	श्री सुनील मणि तिवारी	(lx)	श्री अवध बिहारी चौधरी

आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री विजय कुमार को उनके संक्षिप्त शून्यकाल सूचना के लिए धन्यवाद दिया गया ।

आसन द्वारा नियमन दिया गया कि शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ने के लिए किसी अन्य माननीय सदस्य को प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है । आज मैंने इसे स्वीकार किया है किन्तु भविष्य में इसे पूर्वग नहीं बनाया जाय ।

[4] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

1. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 (अधिसूचना संख्या-3516, दिनांक-26.04.2017); बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 (अधिसूचना संख्या-4412, दिनांक-23.05.2017); बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के प्रतिवेदनों ''राजस्व प्रक्षेत्र'' एवं ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
3. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का ''राजस्व प्रक्षेत्र'' एवं ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।'' इसपर सदन की स्वीकृति हुई ।
4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व ज़नता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।'' इसपर सदन की स्वीकृति हुई ।
6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

7. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 99 के तहत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-85, दिनांक-17.03.2021 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

8. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, दिनांक-25.11.2020; एस०ओ०-192, 193, 194, 195, 196, दिनांक-11.12.2020; एस०ओ०-197, दिनांक-17.12.2020; एस०ओ०-199, 200, 201, 202, 203, 204, दिनांक-18.12.2020; एस०ओ०-205, 206, दिनांक-23.12.2020; एस०ओ०-241, 73, दिनांक-30.12.2020; एस०ओ०-74, 75, दिनांक- 14.01.2021; एस०ओ०-84, दिनांक- 12.03.2021; एस०ओ०-86, दिनांक-26.03.2021; एस०ओ०-99, 100, 101, दिनांक-02.06.2021; एस०ओ०-104, 105, दिनांक-14.06.2021; एस०ओ०-106, दिनांक-16.06.2021; एस०ओ०-108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, दिनांक-01.07.2021 एवं एस०ओ०-117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, दिनांक-09.07.2021 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 30 दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

9. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2016-17 के आठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

10. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

11. खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री श्री जनक राम द्वारा ''बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021'' की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति, श्री दामोदर रावत द्वारा समिति का 299वां एवं 303वां प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[4] <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ</u> :-

(i) माननीय सदस्य श्री जनक सिंह एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित तथा दिनांक-27 जुलाई 2021 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के लिए माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा समय लिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित तथा दिनांक-27 जुलाई 2021 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के लिए माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा समय लिया गया ।

(iii) माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित ध्यानाकषण सूचना को माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा समय लिया गया ।

(iv) माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान एवं अन्य सभासदों का कृषि विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.22 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[5] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग (स्वास्थ्य विभाग) पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री मंगल पाण्डेय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया ।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव एवं इस पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री भूदेव चौधरी
(ii) श्रीमती संगीता कुमारी
(iii) श्री विनोद नारायण झा

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण किया गया ।)

(iv) डॉ० संजीव कुमार
(v) श्री भारत भूषण मंडल
(vi) श्री बीरेन्द्र कुमार
(vii) श्री सुदामा प्रसाद
(viii) श्रीमती स्वर्णा सिंह
(ix) श्री शमीम अहमद
(x) श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
(xi) श्री रणविजय साहू
(xii) श्री सुर्यकांत पासवान
(xiii) श्री अजय कुमार
(xiv) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xv) श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव
(xvi) श्री विनय कुमार चौधरी

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण किया गया ।)

(xvii) श्री प्रो० ललित नारायण मण्डल

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री मंगल पाण्डेय द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए गये कार्यों से विस्तारपूर्वक सदन को अवगत कराया गया ।

सरकार के उत्तर के दौरान उससे असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिगर्मन कर गए।

तदुपरान्त माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् अनुदान की शेष मांगें बारी-बारी से गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ ।

[6] <u>विधायी कार्य :-</u>

- **राजकीय वित्तीय विधेयक**
- **बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021**

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरांत खंडश: विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खण्ड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

[5] <u>निवेदन :-</u>

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 45 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-30 जुलाई, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-29.07.2021

भूदेव राय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।